न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :–

हरीश कुमार पुत्र पुखराज
निवासी मरोठ तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र पुखराज भाण्डा
2. हीरालाल पुत्र पुखराज भाण्डा
3. भगवतीदेवी पत्नी पुखराज भाण्डा
4. देवकीनन्दन गोद शंकरलाल भाण्डा
   निवासी मरोठ तह. नांवा
5. निर्मला पुत्री पुखराज पत्नी मुकेश
   निवासी करकेड़ी तह. रूपनगढ
6. नीलम पुत्री पुखराज पत्नी नरेन्द्र
   निवासी करकेड़ी तह. रूपनगढ
7. सत्यनारायण पुत्र जीवणराम भाण्डा
   निवासी मारोठ तह. नांवा
8. गीता पुत्र जीवणराम भाण्डा
   निवासी पुरलीपुरा जयपुर
9. भगवतीदेवी पुत्री जीवणराम पत्नी गोपालराम
   निवासी झारोता तह. अराई
10. कांतादेवी पुत्री जीवणराम तत्नी गोपाल
    निवासी जीणमाता सीकर
11. मोतीराम पुत्र बिरदाराम बलाई
    निवासी जीणवार तह. नांवा
12. उप पंजीयक नांवा
13. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा।
उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादी

श्री हरिराम वकील प्रतिवादी प्रतिवादी 11

मुकदमां नम्बर :– 562 / 2016

निर्णय दिनांक :– 22.02.2018

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नांवां

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मारोठ के खसरा नम्बर 851 रकबा 1.35 हैक्टयर भूमि स्थित हैं तथा वादी व प्रतिवादी 1 से 10 एक ही खानदान के सदस्य हैं उक्त भूमि स्व. जीवणराम व स्व. रामूराम की खातेदारी में दर्ज थी जिसमें राजूराम जी का स्वर्गवास 20.08.89 को ना औलाद हो गया हैं जिसके सबसे नजदीकी वारिस वादी व प्रतिवादी 1से 10 होने से तथा स्व. जीवणराम का स्वर्गवास होने पर उनके स्थान पर संतोष पत्नी जीवणराम , सत्यनारायण, शंकरलाल, पुखराज के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई हैं पुखराज का स्वर्गवास होने पर वादी व प्रतिवादी 1 से 3 के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी जबकि प्रतिवादी 4 देवकीनन्दन जो अपनी बाल्यवस्था में ही स्व. शंकरलाल के यहां गोद जा चुका हैं तथा इसका लालन पालन स्व. शंकरलाल ने ही किया था तब से गोदी पुत्र के रूप में ही निवास कर रहा हैं प्रतिवादी निर्मला, निलम अपने ससुराल करकेड चली गई तथा गीता पुत्री जगदीश जयपुर व भगवतीदेवी झरोता अपने ससूराल चली गई शंकरलाल के स्थान पर फौतगी नामान्तकरण 956 दिनांक 05.04.2016 को स्वीकृत हुआ हैं जबकि स्व. शंकरलाल जी के अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी देवकीनन्दन को गोद पुत्र रख लिया उसके बावजूद पटवारी हल्का ने नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो शुरू से ही शून्य हैं। उक्त भूमि का आजदिन तक विभाजन नहीं हुआ हैं शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम मरोठ के खसरा नम्बर 351 रकबा 1.35 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 4 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 7 की खातेदारी में घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाकर अलग होलिंग कायम की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 11 ने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त आराजीय पूर्व में जीवणराम, रामुराम पुत्र गणेशराम के बहिस्सा बराबर बराबर कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारो में थी जिसके अनुसार कुल भूमि में 0.675 हैक्टयर भूमि जीवणराम व 0.675 हैक्टयर भूमि रामूराम के कब्जा काश्त व खातेदारी अधिकारो में थी जीवणराम का स्वर्गवास होने के बाद 1/2 हिस्सा की भूमि में उसके जाईन्दा उत्तराधिकारी पुखराज, शंकरलाल, सत्यनारायण, गीता, भगवती व कान्ता के नाम खातेदारी दर्ज हुई इस प्रकार जीवणराम के उत्तराधिकारियो में प्रत्येक के 1/6 हिस्सा यानि 0.1125 हैक्टयर भूमि हिस्से में आई है जीवणराम के बड़े पुत्र पुखराज का स्वर्गवास होने पर उसके 1/6 हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
नावां

भूमि उनके उत्तराधिकारी लक्ष्मीनारायण , देवकीनन्दन, हरीशकुमा, हीरालाल , नीरू, नीलम की खातेदारी दर्ज हुई जिसमें जीवणराम की पुत्री भगवतीदेवी ने अपने पिता जीवणराम से उत्तराधिकार में प्राप्त 0.675 हैक्टयर में से 1/6 हिस्सा अर्थाई सम्पूर्ण 1.35 हैक्टयर में 1/12 हिस्सा यानि 0.1125 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि दिनांक 12.04.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान बतौर प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी 11 को बैचान कर दी हैं जिसका नामान्तकरण 974 दिनांक 12.07.2016 स्वीकृत हो चुका हैं विक्रय के दिन मौके पर हो रखे परिवारिक बंटवारे के अनुसार नांवा-- सीकर सड़क पर मारोठ पैट्रोल पम्प के सामने से महाराजपुरा व गोविन्दी जाने वाली सड़क के पूर्वी -- उत्तरी तरफ स्थित भूमि पर सुपुर्द किया हैं जिस पर खरीद के दिन से वादी काबिज काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी 11 ने काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त विवादित आराजीयत 1.35 हैक्टयर भूमि में जीवणराम के 0.675 हैक्टयर भूमि में 1/6 अर्थात सम्पूर्ण आराजीयत में 1/12 हिस्सा यानि 0.1125 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी 11 की अलग होल्डिंग कायम की जावे। जिसके बाद वादी व प्रतिवाद 5 व 11 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया हैं जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं साक्ष्य बन्द की जाकर बहस सुनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी ने वाद के साथ जमबन्दी सम्वत 2070–2073 पेश की हैं जिसमें ग्राम मारोठ के खसरा नम्बर 851 रकबा 1.35 हैक्टयर भूमि संतोष पत्नी जीवणराम , सत्यानारायण, शंकरलाल पि. जीवणराम, गीता, भगवती, कांता, पुत्रीया जिवणराम भगवती पत्नी पुखराज , लक्ष्मीनारायण, देवकीनंदन, हरीशकुमार, हीरालाल पि. पुखराज निर्मला, नीलम पुत्रीया पुखराज रामू पुत्र गणेश जाति भांड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें संतोष पत्नी जीणराम व शंकरलाल पुत्र जीवणराम का स्वर्गवास होने सत्यनारायण पुत्र जीवणराम , गीता, भगवती कांता पुत्रीया जीवणराम भगवती पत्नी पुखराज , लक्ष्मीनारायण पुत्र देवकीनन्दन, हरीशकुमार, हीरालाल पि. पुखराज निमर्ला, नीलम पुत्रीयां पुखराज के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई हैं जिसमे से भगवतीदेवी पुत्री जीवणराम द्वारा बैचान करने पर मोतीराम पुत्र बिरदाराम बलाई की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। वकील वादी ने उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी 1 , 2, 3 का 1/3 हिस्सा होना बताया हैं लेकिन रिकार्ड के

उपखण्ड अधिकारी

अनुसार 1/3 हिस्सा पैतृक नहीं हैं जीवणराम तीन पुत्रीयां गीता, भगवती व कान्ता का भी इस विवादित भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदारी हैं केवल मात्र ससुराल चले जाने मात्र से पुत्रियों का हिस्सा खत्म नहीं हो जाता हैं वादी ने अपने वाद में अपने हक हिस्से से अधिक भूमि खातेदारी घोषण करवाऐ जाने की इस्तदुआ की हैं जो कानून प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। उक्त भूमि में रिकार्डेड खातेदार भगवतीदेवी का 1/2 हिस्से में 1/6 हिस्सा यानि सम्पूर्ण में 1/12 हिस्से का बैचान प्रतिवादी 11 के पक्ष में किया गया हैं बैचान के आधार पर प्रतिवादी 11 की खातेदारी दर्ज हो चुकि हैं तथा प्रतिवादी अपने हक हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। जिसका प्रतिवादी 11 को कानूनी अधिकार हैं उक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद साबित नहीं होता हैं प्रतिवादी 11 अपनी खातेदारी भूमि का बंटवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी है। जिससे वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी 11 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी 11 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम मारोठ के खसरा नम्बर 851 रकबा 1.35 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्से की 0.675 हैक्टयर भूमि में से 1/6 हिस्से यानि 0.1125 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 11 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम कर अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बेरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नांवा